न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 839-I/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–1–2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 130 / 11–12 / अपील ।

अब्दुल हबीब खॉ पुत्र स्व.श्री अब्दुल रहीम खॉ
निवासी वार्ड नम्बर 6 तलैया सिरोंज
तहसील सिरोंज विदिशा
जिला–विदिशा (म.प्र.)

..... आवेदक

विरूद्ध

1–खैरून बी पत्नि स्व.श्री अब्दुल हमीद खॉ
2–अब्दुल शफीक खॉ पुत्र स्व.श्री अब्दुल हमीद खॉ
3–अब्दुल लतीफ खॉ पुत्र स्व.श्री अब्दुल हमीद खॉ
4–अब्दुल अजीज खा पुत्र स्व.श्री अब्दुल हमीद खॉ
5–अब्दुल इदरीस खॉ पुत्र स्व.श्री अब्दुल हमीद खॉ
6–रूबीना बी पुत्री स्व.श्री अब्दुल हमीद खॉ
7–छोटी बी पुत्री स्व.श्री अब्दुल हमीद खॉ
8–गुड्डी बी पुत्री स्व.श्री अब्दुल हमीद खॉ
9–फरहाना बी पुत्री स्व.श्री अब्दुल हमीद खॉ
10–सायना बी पुत्री स्व.श्री अब्दुल हमीद खॉ
निवासी वार्ड नम्बर 06 तलैया सिरोंज, तहसील सिरोंज
जिला -विदिशा (म.प्र

..... अनावेदकगण

श्री मेहरबान सिंह, अभिभाषक आवेदक
श्री प्रेमसिंह ठाकुर अभिभाषक अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक / / को पारित)

यह निगरानी आवदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 130/11–12/अपील में पारित आदेश दिनांक 30.1.2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 के पति व अनावेदक कमांक 2 से 10 तक के पिता के नाम एक संयुक्त खाता कमांक 22 स्थित कस्बा सिरोंज कुल किता 8 कुल रकबा 2.025 हेक्टर का दर्ज था जिसे विधिवत् बटवारे हेतु आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर से प्रकरण कमांक 75/अ–27/2010–11 दर्ज होकर विधिवत कार्यवाही करते हुये फर्द बंटान बुलाई गया जिस पर अनावेदकगण द्वारा यह आपत्ति लिये जाने पर कि अनावेदकगण का भी बटवारा पृथक–पृथक किया जाये, पर से पुनः संहिता की धारा 178 मे बने नियमों अनुसार स्वत्व भूमि की किस्म मूल्य एवं सुविधा अनुसार पुनः फर्द बंटान प्राप्त किये गये, फर्द बंटान पर उभयपक्षों की पूर्ण सहमति एवं स्वीकृति के पश्चात् दिनाक 31–12–11 को विधिवत आदेश पारित किया गया । अनावेदक कमांक 3 एवं 5 के मध्य विवाद होने पर अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 द्वारा एक समयावधि बाह्य अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आलोच्य अंतरिम आदेश दिनांक 30-1-14 से पुनः फर्द बटवारा मंगाये जाने के आदेश पारित किये गये, से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई ।

3– प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये जिसमें मुख्य रूप से यह बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत बने नियमों अनुसार विधिवत् आवेदक एवं अनावेदकगण के मध्य सहमति के आधार पर समान भाग किस्म, मूल्य, सुविधा के आधार पर विधि अनुसार पारित आदेश को महत्व न देकर

आलोच्य आदेश पारित करने में त्रुटि की है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । तर्क में यह भी बताया कि विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये सहमति के आधार पर आदेश पारित किया जिस पर कोई विवाद न होकर अनावेदकगण के आपसी विवाद के कारण प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण में आलोच्य आदेश पारित कर वाद बहुलता को बढावा देने की भूल की है । आवेदक एव अनावेदकगण समान भाग के स्वत्वाधिकारी होकर उनके मध्य विधि एवं प्राकृतिक न्याय अनुसार बंटवारा आदेश पारित हुआ है । मात्र अनावेदकगण के आपसी विवाद के कारण आलोच्य आदेश पारित करने में विधिक भूल की है । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आलोच्य आदेश दिनांक 31.1.14 निरस्त करते हुये विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–12–2011 स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया ।

4– अनावेदकगण की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा कहा गया कि आवेदक द्वारा उक्त विवादित भूमि के बटवारे हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें अनावेदकगण द्वारा उपस्थित होकर अपने जबाव में उनका भी पृथक बटवारा किये जाने का निवेदन अधीनस्थ विचारण न्यायालय से किया लेकिन पटवारी द्वारा आवेदक के द्वारा बनवाया गया बटवारा प्रस्तुत किया और विचारण न्यायालय ने उक्त बटवारे को स्वीकृत करने के आदेश दिये जो निरस्ती योग्य है । अनावेदकगण ने अधीनस्थ न्यायालय में उक्त फर्द बंटान पर आपत्ति प्रस्तुत की लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया और त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है । फर्द बटवारा पक्षकारों के समक्ष नहीं बनाया गया उनके हस्ताक्षर भी नही कराये गये उनके कब्जे की भूमि के बारे में उनसे नहीं पूछा गया इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित नहीं है । इस पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत एवं उचित कार्यवाही की जाकर पुनः प्रकरण में हल्का पटवारी से स्वत्व एव आधिपत्य के मान से पुनः स्थल जॉच कर फर्द बंटवारा मंगाये जाने के आदेश दिये गये जो उचित है । अंत में निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त कर अनुविभागीय

अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाकर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया ।

5 उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया । विचारण न्यायालय के समक्ष अनावेदक पक्ष की ओर से बंटवारा कार्यवाही के दौरान आपत्ति करना रिकार्ड से प्रमाणित होता है । लेकिन तहसीलदार के अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि उन्होंने अनावेदकों को पर्याप्त सुनवाई का अवसर नहीं दिया । उनकी आपत्ति का कोई निराकरण नहीं किया । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण में अपने स्तर पर पुनः उभयपक्ष को सुनकर बंटवारा करने का प्रश्नाधीन आदेश में जो निर्णय लिया है वह उचित है । आवेदक का यह तर्क कि तहसील में आपसी सहमति से बंटवारा हुआ था, अभिलेख से प्रमाणित नहीं है क्योंकि बंटवारा कार्यवाही में सभी पक्ष आवश्यक पक्षकार है अतः किन्हीं भी पक्षों के बीच विवाद का निराकरण करना न्यायालय का उत्तरदायित्व था । मात्र इस आधार पर कि आवेदक के साथ किसी पक्ष का विवाद नहीं है तो केवल आवेदक के पक्ष में किया गया बंटवारा यथावत् नहीं रखा जा सकता । समग्र रूप से ही बंटवारे के प्रकरण का निराकरण किया जाना उचित होगा ।

6 / उपरोक्त प्ररिप्रेक्ष्य में यह निगरानी आधारहीन होने से अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय अधिकारी
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर